

संख्या-पी-92/81-2-2021-800(88)/2021

प्रेषक,

आर०पी०सिंह
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 11 जून, 2021


विषय- जनपद बरेली में बरेली-पीलीभीत मार्ग, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिविल इन्कलेव (एयरपोर्ट) बरेली पर प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र हेतु 33 के०वी० लाइन भूमिगत डाले जाने में प्रभावित 0.0714 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-2749/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/123011/2021, दिनांक 28.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. प्रश्नगत प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 यदि प्रभावी है तो प्रस्ताव में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?
2. यूजर एजेन्सी से सी०ए० किन परिस्थितियों में चार्ज किया जा रहा है ?

भवदीय,


(आर०पी०सिंह)
अनु सचिव।